



**कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- addlpcfdevelopment@gmail.com
Phone & Fax No. 0651-2481813



पत्रांक :- ०१ / यो०ब० / झा०पा०-५९ / २०१५- १२८६

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
राँची वन प्रमंडल, राँची।

दिनांक :- ०९ / १२ / २०१५

विषय :- वित्तीय वर्ष 2015-16 में झारखण्ड उद्यान समिति (झारपार्क) को अनुदान योजना (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) को रु० ५०.०० लाख (पचास लाख रुपये) मात्र की राशि का ऑन-लाईन उप आवंटन के संबंध में।

प्रसंग :- विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-०४ / यो०बजट-६५ / २०१५-०६ / स्वी० व०प० दिनांक १२.०६.२०१५ एवं आवंटन आदेश संख्या-०४ / यो०बजट-६५ / २०१५-३५ / आ० व०प० दिनांक १६.०६.२०१५ तथा स्वीकृत्यादेश संख्या-४ / यो०ब०-६५ / २०१५ -४७ / स्वी० दिनांक-२६.११.२०१५।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2015-16 में झारखण्ड उद्यान समिति (झारपार्क) को अनुदान योजना (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के लिए कुल रु० ५०.०० लाख (पचास लाख रुपये) मात्र की स्वीकृति प्राप्त राशि का ऑन-लाईन उप आवंटन उपर्युक्त वर्णित वन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-०४ / यो०बजट-६५ / २०१५-०६ / स्वी० व०प० दिनांक १२.०६.२०१५ एवं आवंटन आदेश संख्या-०४ / यो०बजट-६५ / २०१५-३५ / आ० व०प० दिनांक १६.०६.२०१५ तथा स्वीकृत्यादेश संख्या-४ / यो०ब०-६५ / २०१५ -४७ / स्वी० दिनांक-२६.११.२०१५ के अन्तर्गत किया जा रहा है।

उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध निम्न प्रकार लघुशीर्ष/इकाईवार राशि आवंटित किया जाता है :-

(राशि लाख में)

क्र० सं०	शीर्ष का नाम	प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	आवंटित राशि
१	"२४०६-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप-मुख्य शीर्ष ०१-वानिकी, लघु शीर्ष ७९६-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष ५४-“झारपार्क्स को अनुदान योजना”	७९-सहायता अनुदान सामान्य इकाई	19P240601796540679	५०.००
कुल आवंटित राशि				५०.००

अर्थात् कुल रु0 50.00 लाख (पचास लाख रुपये) मात्र राशि आवंटित की जाती है। ऑन-लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-1 पर संलग्न है।

2. वर्तमान आवंटित राशि 50.00 लाख (पचास लाख रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के अधीन है तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 में झारखण्ड उद्यान समिति (झारपार्क) को अनुदान योजना (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) बजट मुख्य शीर्ष 2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप-मुख्य शीर्ष 01-वानिकी, लघु शीर्ष 796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष 54-“झारपार्क को अनुदान योजना” अन्तर्गत विकलनीय होगा।

3. स्वीकृत की जा रही राशि का आवंटन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या-301 दिनांक-11.03.2015 के आलोक में वन एवं पर्यावरण विभाग के स्तर से निर्गत किया जायेगा।

4. वित्तीय वर्ष 2015-16 में इस योजनान्तर्गत स्वीकृत कुल राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में कर ली जायेगी तथा राशि पी0एल0 खाता में संधारित किया जायेगा।

5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/सदस्य सचिव, झारखण्ड उद्यान समिति (झारपार्क) द्वारा प्राप्त राशि का व्यय, लेखा-संधारण, अंकेक्षण, राशि का प्रत्यर्पण आदि वित्तीय प्रक्रियाओं का अनुपालन सरकार द्वारा निर्धारित वित्तीय मापदंड/निदेश के अनुसार किया जायेगा।

झारखण्ड उद्यान समिति (झारपार्क) को दी गई राशि/अनुदान राशि का अनुश्रवण एवं नियमानुसार समुचित कारंवाई करने का दायित्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची का होगा।

6. इस राशि का व्यय झारखण्ड उद्यान समिति (झारपार्क) के प्रशासी निकाय द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के अनुरूप किया जाएगा। योजनाओं का क्रियान्वयन प्रशासी निकाय से स्वीकृत करने के उपरांत सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जाएगी तथा अभिलेख हेतु एक प्रति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची के कार्यालय में समर्पित की जाएगी।

7. योजनाओं में सामग्री का क्रय विभाग द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों के अनुसार की जाएगी।

8. सामग्रियों का क्रय तथा निर्माण कार्यों का कार्यान्वयन नियमानुसार निविदा के आधार पर किया जायेगा।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा।

10. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतनदर के अनुरूप किया जायगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अन्तर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

11. सदस्य सिवच, झारखण्ड उद्यान समिति (झारपार्क्स) के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में उनके लिए वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

12. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

13. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय—2561 दिनांक—17.04.1998 एवं समय—समय पर एतद् संबंधी निर्गत परिपत्रों के आलोक में अपर प्रधान मुख्य बन संरक्षक, विकास से आवंटन प्राप्त होने के उपरांत की जायेगी। राशि की नियंत्री महालेखाकार से प्राधिकृत पत्र प्राप्त कर की जायेगी।

14. परियोजना के कार्यान्वयन में अनुदानित राशि का व्यय संगत वित्त नियमावली के आलोक में वास्तविकता के आधार पर किया जाएगा, जो स्वीकृत राशि के अन्तर्गत होगी तथा राशि का विचलन किसी अन्य कार्य में नहीं किया जाएगा एवं उपयोगिता प्रमाण—पत्र समर्पित करना होगा।

15. स्वीकृत योजना सफल कार्यान्वयन तथा ससमय उपयोगिता प्रमाण—पत्र सरकार को समर्पित करने का उत्तरदायित्व सदस्य सचिव, झारखण्ड उद्यान समिति (झारपार्क्स) पर होगा।

सदस्य सचिव, झारखण्ड उद्यान समिति (झारपार्क्स) द्वारा मासिक भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि प्रतिवेदन तथा वार्षिक प्रतिवेदन—सह—उपयोगिता प्रमाण—पत्र बन एवं पर्यावरण विभाग तथा अपर प्रधान मुख्य बन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराया जायेगा एवं उपयोगिता प्रमाण—पत्र की प्रति अध्यक्ष, झारखण्ड उद्यान समिति (झारपार्क्स) को समर्पित की जायेगी।

16. वित्त विभाग के संकल्प झापांक—118 / वि० दिनांक—12.01.2007 के आलोक में झारखण्ड उद्यान समिति (झारपार्क्स) के लिए राज्य सरकार द्वारा दी जानेवाली सभी राशियों को पी०एल० खाता में रखा जाना अनिवार्य है। इस निमित झारखण्ड उद्यान समिति (झारपार्क्स) के नाम से लेखा शीर्ष 8448 स्थानीय निधि जमा के अन्तर्गत पी० एल० खाता खोलने की स्वीकृति दी जाती है।



17. उपरोक्त पी0एल0 खाता का संचालन लेखा शीर्ष 8448 स्थानीय निधि जमा के अन्तर्गत होंगे ।
18. पी0एल0 खाता के संचालक सदस्य सचिव, झारखण्ड उद्यान समिति (झारपाकर्स) होंगे ।
19. संचालक द्वारा मासिक लेखा के साथ अलग से धन एवं ऋण ज्ञापांक महालेखाकार कार्यालय को भेजा जायेगा ।
20. राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची कोषागार से की जायेगी ।
21. पी0एल0 खाता का संचालन कोषागार संहिता के नियम 573 से 581 के अनुसार किया जायेगा ।
22. झारखण्ड उद्यान समिति (झारपाकर्स) के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वन प्रमंडल पदाधिकारी, राँची वन प्रमंडल, राँची होंगे, जिनके द्वारा सरकारी खाते से राशि की निकासी कर संबंधित पी0एल0 खाता में जमा की जायेगी ।
23. पी0एल0 खाता से निकाली जानेवाली राशि उपरोक्त कंडिका-4 में वर्णित में वर्णित संचालक द्वारा खाते से विहित उद्देश्य हेतु नियमानुसार की जायेगी ।
24. पी0एल0 खाता से राशि की निकासी कर राशि झारखण्ड उद्यान समिति (झारपाकर्स) के निकाय द्वारा अपने पास नगद रूप में अथवा बैंक खाते में अंतरित नहीं किया जायेगा ।
25. वन विभागीय पत्रांक-4/यो0ब0-65/2015-47/स्वी0 दिनांक-26.11.2015 की प्रति अनुलग्नक-1 पर संलग्न है ।
26. ऑन-लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्न-2 पर संलग्न है ।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक :— यथोक्त ।

४०/-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची ।

झापांक :—01/यो0ब0/झापा0-59/2015- 1286 दिनांक :—09.12.2015

प्रतिलिपि—प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची/ सदस्य सचिव, झारखण्ड उद्यान समिति (झारपाकर्स), झारखण्ड, राँची/एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ प्रेषित ।

अनुलग्नक :— यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची ।

आवंटन झारेश

झारखण्ड सरकार

प्राधिकार सरकार

घालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाएं गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती हैं

पत्र संख्या - 01/yb-59/2015/1286

दिनांक -

09-Dec

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	P 19 240601796540679 2406 - वानिकी नथा बन्ध प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 54 - आग्यार्क्स को अनुदान योजना 06 - अनुदान 79 - सहायता अनुदान सामान्य (पैर-वेतन)	78686	DRNFWL013 RAJIV LOCHAN BAKSHI DFO, RANCHI FORES DIVISION RA	5,000,000.00 रुपये पचास लाख

योग: 5,000,000.00

क्रमिक योग: रुपये पचास लाख

(SHRI Y.K. SINGH, CHAUMAN IFS) -

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND